में लगातार आने वाली कमी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में खाद्यान्नों के लिए घरेलू मांग में कमी आई है जो कि मूलरूप से गैर-खाद्यान्न वस्तुओं की व्यापक किस्मों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग करने के कारण हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Measures for Large scale seed Multiplication

4083. DR. MOHAN BABU:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the measures taken for large scale seed multiplication to ensure farmers' protection to enhance productivity and lessen the dependence on foreign seed companies; and

(b) by when the Draft Plant Varieties Law is proposed to be introduced to enable the farmers to free themselves from foreign seed companies?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) For large scale multiplication and distribution of quality seed to farmers there is a well established infrastructure which includes the National Seeds Corporation, the State Farms corporation of India, the State Seed Corporations, the State Government Seed Farms and a large number of private sector seed companies. The National Seeds Project has contributed substantially in improving seed production and processing infrastructure as well as seed quality control. Quality seed production is also encouraged through various central sector and centrally sponsored schemes for crop development and seed production/ distribution.

(b) The draft legislation for protection of plant varieties is under finalisation in consultation with various Ministries/ Departments. The legislation will be introduced after completion of due procedures required in the matter.

रेलवे कल्याण और राहत कोष के अंतर्गत लाभ भोगी

4084. श्री अजीत जोगी:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेल कर्मियों और उनके परिवारों को रेल मंत्री कल्याण एवं राहत कोष से कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) इस सहायता के प्रदान किये जाने के लिये क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज):

(क) 1994-95 — 62,000/- रुपये
1995-96 — 6,09,000/- रुपये

(ख) विपत्तियों यथा प्राकृतिक विपदाओं, लम्बी बीमारी, अचानक मृत्यु आदि में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए इस कोष से सहायता मुहैया करायी जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेल मंत्री कल्याण और राहत कोष से 15 रेल कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, उत्तर रेलवे के बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को सामूहिक राहत के रूप में उत्तर रेलवे को 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को अध्ययन अवकाश देने संबंधी प्रावधान

4085. श्री पराग खालिहा:
श्री शिव चरण सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के उच्च अध्ययन हेतु वेतन सहित अध्ययन अवकाश का अधिनियमन करने संबंधी कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1996-97 सत्र सहित विगत तीन शैक्षिक सत्रों के दौरान उपरोक्त प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया है और यह अवकाश किन-किन पाठ्यक्रमों के लिये स्वीकृत किया गया है;

(घ) क्या वेतन सहित पूर्णकालिक अध्ययन अवकाश दूरस्थ स्थानों पर अध्ययन के लिए भी प्रदान किया जाता है जबकि ऐसे अध्ययन की सुविधाएं पदांकित स्थान पर भी उपलब्ध हों; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण "I" में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**।

(ग) ब्यौरे विवरण "II" में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**।

(घ) और (ङ) अध्ययन अवकाश नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में उस स्थान का विशेष रूप से ब्यौरा नहीं दिया जाता है जहां पर अध्ययन शुरू किया जाना है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की सी०सी०एस० (अवकाश) नियमावली, 1972 में निहित अध्ययन अवकाश संबंधी नियमों के विस्तार को आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुमोदित किया है।

1. अध्ययन अवकाश भारत के बाहर अथवा भारत में, सी०सी०एस० (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 50 में निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त प्रधानाचार्य स्तर तक के शिक्षण स्टाफ को साहित्यिक और शैक्षिक प्रयोजन के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाए,

2. सी०सी०एस० (अवकाश), नियमावली, 1972 के नियम 50 में निर्धारित प्रयोजन के लिए शिक्षा अधिकारियों और अन्य सभी उच्च अधिकारियों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाए,

3. केवल वे व्यक्ति जिन्होंने संगठन में कम-से-कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है उनको अध्ययन अवकाश देने पर विचार किया जाए।

4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन अधिकारियों को भी अध्ययन अवकाश दिया जाए जिनको सेवानिवृत्त होने में 3 वर्ष से कम समय रह गया है बशर्ते कि उनके अध्ययन के परिणामों का केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर अथवा विद्यालय स्तर पर कर्मचारी मनोदशा प्रबंधन प्रणाली, मानवीय संबंध संगठनात्मक ढांचा आदि के विषय में संगठन के सुधार से सीधा संबंध हो,

5. अध्ययन अवकाश के०वी०एस० के उपाध्यक्ष की अनुमति से प्रदान किया जाएगा,

6. संवर्ग में एक समय पर एक प्रतिशत से अधिक नियमित कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा, और

7. अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार अध्ययन अवकाश दिया जाए।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को अध्ययन अवकाश देने संबंधी प्रावधान उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिनको पिछले तीन शैक्षिक वर्षों के दौरान अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया

क्र॰ सं॰	कर्मचारी का नाम	पदनाम	केन्द्रीय विद्यालय, जहां पर कार्यरत है	अध्ययन के उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए अध्ययन अवकाश दिया गया	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हर्ष तिवारी	योग प्रशिक्षक	आई॰आई॰टी॰, कानपुर	योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	
2.	श्री ए॰ के॰ संडाल	योग प्रशिक्षक	आई॰एन॰ए॰ कालोनी	-वही-	
3.	श्री सुरेश कुन्द्रा	योग प्रशिक्षक	गोल मार्किट	-वही-	
4.	श्री विजय कपूर	योग प्रशिक्षक	प्रगति विहार	-वही-	
5.	डा॰ बी॰ एन॰ झा	योग प्रशिक्षक	नोएडा	-वही-	
6.	श्री ए॰ के॰ पासवानी	योग प्रशिक्षक	गोल मार्किट	-वही-	
7.	श्री ई॰टी॰ बाबू	टी॰जी॰टी॰ (गणित)	सेक्टर 2 आर॰के॰ पुरम	एम॰एस॰सी॰ (गणित तथा संगणक विज्ञान)	
8.	श्रीमती उमा शिवरामन	पी॰जी॰टी॰ (अंग्रेजी)	अशोक नगर, मद्रास	"अभिव्यक्तिशील भाषा शिक्षण के संदर्भ में के॰ मा॰ शि॰बो॰ अंर्तःक्रिया पैकेज का मूल्यांकन" में पी॰एच॰डी॰	
9.	श्रीमती प्रतिभा कुलश्रेष्ठ	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी)	सं॰ 1 इंदौर	एम॰ ए॰ (अंग्रेजी)	

Dispute between seed fanners of East Godavari District and National Seeds Corporatio

4086. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a delegation of farmers from East Godavari district, Andhra Pradesh made a fresh representation on the on-going dispute with the National Seeds Corporation;

(b) whether it is a fact that no action has been taken on the proposed arbitration of the dispute between the seed farmers and the National Seeds Corporation;

(c) the quantum of the disputed amount;

(d) whether the National Seeds Corporation will make an early settlement; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No, Sir.

(b) there was no proposal to refer the dispute to Arbitration.

(c) Six main growers of East Godavari District have lodged claim for Rs. 20.03 lakhs in the Consumer Redressal Forum, Kakinada (sitting at Rajamundary) on